

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—92/2022 (2022/201) प्रार्थना पत्र

## अनवान

1. फ़ैफकंवर पत्नि शेलसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. महेन्द्रसिंह पुत्र माता मोरकंवर राजपूत नि. रामसिंहजीकागुडा तह.सोजत जिला पाली
3. रणजीतसिंह पुत्र माता मोरकंवर राजपूत नि. रामसिंहजीकागुडा तह.सोजत जिला पाली

प्रार्थीगण

## बनाम

1. गणपतसिंह पिता मेहताबसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जालमसिंह पिता मेहताबसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नरपतसिंह पिता मेहताबसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुगनकंवर पत्नि मेहताबसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गंगासिंह पिता शैतानसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बायांकंवर पुत्री शैतानसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भैरूसिंह पुत्र शैतानसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगुसिंह पुत्र शैतानसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भीखसिंह पिता खुमाणसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सौरभकंवर पुत्री खुमाणसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. अमर सिंह —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार के अधिकार एवं कब्जे आराजी संख्या 128 रकबा 1.16 है0 भूमि खाता संख्या 104 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.11.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि

उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.06.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार के अधिकार एवं कब्जे आराजी संख्या 128 रकबा 1.16 है0 भूमि खाता संख्या 104 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



  
28/06/22  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
सहायक कलक्टर रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—92/2022 (2022/201) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. फौफकंवर पत्नि शेलसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. महेन्द्रसिंह पुत्र माता मोरकंवर राजपूत नि. रामसिंहजीकागुडा तह.सोजत जिला पाली
3. रणजीतसिंह पुत्र माता मोरकंवर राजपूत नि. रामसिंहजीकागुडा तह.सोजत जिला पाली

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपतसिंह पिता मेहताबसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जालमसिंह पिता मेहताबसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नरपतसिंह पिता मेहताबसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुगनकंवर पत्नि मेहताबसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गंगासिंह पिता शैतानसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बायांकंवर पुत्री शैतानसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भैरूसिंह पुत्र शैतानसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगुसिंह पुत्र शैतानसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भीखसिंह पिता खुमाणसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सौरभकंवर पुत्री खुमाणसिंह निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.06.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार के अधिकार एवं कब्जे आराजी संख्या 128 रकबा 1.16 है0 भूमि खाता संख्या 104 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रुपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर, जिला भीलवाड़ा